राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जयपुर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

कमांक एफ 5(4) कृ.प्र./21/2024–25/946–1164 दिनांक– 05–06–24

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त

विषयः–राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि कार्यकम के दिशा–निर्देश।

1. **योजना का विवरणः–** कृषि विषय लेकर अध्ययनरत 10+2 (सीनियर सैकण्डरी कृषि), स्नातक व स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. कोर्स में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान हैं।
2. **पात्रताः–**
 - राज्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान **केवल राजस्थान की मूल निवासी** ऐसी छात्राओं को किया जावेगा जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होंगी।
 - अध्ययनरत छात्रा के प्रवेश का प्रकार (Payment/Non payment) का संबंध कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से नहीं है।
 - **गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।**
 - जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो, को भी प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
 - सत्र के मध्य विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय नहीं होगा।
3. **वित्तीय प्रावधानः–**
 - कृषि विषय लेकर सीनियर सैकेण्डरी (10+2) में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये **15,000/–** प्रतिवर्ष की दर से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा हेतु देने का प्रावधान है।
 - कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये **25,000/–** प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षीय पाठ्यकम हेतु तथा श्री कर्ण नरेन्द्र व्यवसाय प्रबन्धन महाविद्यालय, जोबनेर में बी. एस. सी (कृषि) व एमबीए एग्री बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को भी रू. 25,000/– प्रतिवर्ष पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु देने का प्रावधान है।

RajKaj Ref
7270028

Scanned with OKEN Scanner

- कृषि स्नात्कोत्तर शिक्षा (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये 25,000/– राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु देने का प्रावधान है।
- कृषि विषय में पी.एच.डी. कोर्स में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये 40,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष हेतु देने का प्रावधान है।

4. आवेदन प्रकियाः–

- <u>प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करने के लिये छात्रा द्वारा ई–मित्र के माध्यम से या छात्रा की स्वयं की एसएसओ आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑन लाइन संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् को करना होगा।</u>
- छात्रा जिस कक्षा में अध्ययन कर रही है उसके लिये संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के लिये कृषि संकाय वाले जिले के नवीन पंजीकृत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को अपना पंजीकरण राज किसान साथी पोर्टल (http://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर संस्था के अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने आधार नम्बर से लॉगिन कर दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक करना होगा। संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया जायेगा।
- राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आवेदनों की जांच कर उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र (ई–सर्टिफिकेट) जारी किया जायेगा कि छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है तथा छात्रा द्वारा उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं लिया गया है तथा छात्रा अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा ऑनलाइन ही जारी किया जायेगा।
- जिन छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन हो चुका है, परन्तु गत वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किन्हीं कारणों से नहीं किया जा सका था ऐसी छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत वित्तीय वर्ष के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
- जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करावें कि छात्राओं द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन किया गया हैं, संस्था प्रधान द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में ई–साईन सर्टिफिकेट जारी किया जावें। उसी वित्तीय वर्ष में संस्था

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\7270028_726552143230620331 3.docx

Scanned with OKEN Scanner

प्रधान द्वारा ई–साईन सर्टिफिकेट जारी नहीं किये जाने पर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी जिसके लिये संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः– 31 जनवरी, 2025**
6. **ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–**
 - **गत वर्ष की अंकतालिका**
 - **राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र**
7. जिले के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद कार्यालय द्वारा ऑन–लाईन प्राप्त हुए आवेदनों की जांच करके संबंधित संस्था यानी विद्यालय या महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों को अग्रेषित किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु तय समयावधि निम्न प्रकार से हैः–

अनुदान स्वीकृति प्रकिया चरण	पूर्व चरण के पश्चात अधिकतम समयावधि	उतरदायी कार्मिक/व्यक्ति
प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन प्राप्ति	31 जनवरी 2025 तक	–
दस्तावेजों की जांच एवं संबंधित संस्था प्रधान को अग्रेषित	15 दिन	योजना प्रभारी संबंधित कार्यालय
संस्था प्रधान द्वारा (ई– साईन सर्टिफिकेट) जारी	07 दिन	संबंधित संस्था प्रधान
ई– साईन सर्टिफिकेट की जांच	05 दिन	योजना प्रभारी संबंधित कार्यालय
वित्तीय स्वीकृति	05 दिन (बजट उपलब्धता के आधार पर)	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्

8. उक्त योजना के प्रचार–प्रसार के लिए संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद एवं अधीनस्थ विभागीय अधिकारी/कार्मिक समुचित प्रयास करेंगे।
9. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद यथासम्भव 10 फरवरी, 2025 तक आवेदित पात्र छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त दिशा–निर्देशानुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराते हुये मासिक प्रगति से आयुक्तालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त कृषि

RajKaj Ref
7270028

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जयपुर

कमांक एफ 5(4) कृ.प्र./21/2024–25/ 1546-1590 दिनांक 24.06.2024

संयुक्त निदेशक कृषि (वि0)
जिला परिषद समस्त।

विषयः– राज्य योजनान्तर्गत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि कार्यकम अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ऑन–लाईन आवेदन पत्र राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त करने के कम में।

प्रसंगः–कृषि आयुक्तालय के पत्रांक 946–1164 दिनांक 05.06.2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के प्रोत्साहन राशि कार्यकम के ऑन–लाईन आवेदन पत्र राजकिसान साथी पोर्टल पर आमन्त्रित करने हेतु पोर्टल दिनांक 01.07.2024 से 31.01.2025 तक खोला जायेगा।

अतः अपने संबंधित जिले के सभी कृषि विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को आपके स्तर से सूचित कराये कि उनकी संस्था में कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिये राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिये ऑन–लाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 01.07.2024 से 31.01.2025 तक का समय दिया गया है। योजनान्तर्गत दिनांक 31.01.2025 के पश्चात ऑन–लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में समस्त संस्था प्रधान संबंधित छात्राओं को यह भी निर्देशित करावें कि आवेदन करते समय छात्राओं द्वारा सही वर्ष का ही अंकन किया जाये जिससे कि छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय पर किया जा सके।

24/6/24
(टी. के. जोशी)
अति0 निदेशक कृषि (वि0)

कमांक एफ 5(4) कृ.प्र./21/2024–25/ 1546-1590 दिनांक 24.06.2024

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड।
3. प्रभारी एवं अधिकारी राजकिसान साथी पोर्टल को भेजकर लेख है कि वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के प्रोत्साहन राशि कार्यकम के ऑन–लाईन आवेदन पत्र राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त करने हेतु पोर्टल दिनांक 01.07.2024 से 31.01.2025 तक चालू रखने का श्रम करावें ।

25/6/24
अति0 निदेशक कृषि (वि0)

Scanned with CamScanner